न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 32/2019 प्रार्थना पत्र
GCMS No- 2019/00072

1. मु. कमला पत्नी दोला कुमावत, आयु 70 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गोपाल पिता दोला, उम्र 42 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. फुलचन्द पिता दोला, उम्र 40 साल, निवासी मोड़ जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. पन्नालाल पिता दोला, उम्र 38 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. रामचन्द्र पिता दोला, उम्र 36 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. रामलाल पिता मथरा कुमावत, आयु 45 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा।
2. बाबुलाल पिता मथरा कुमावत, आयु 42 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा।
3. गोटु पिता मथरा कुमावत, आयु 40 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. मिट्ठु पिता मथरा कुमावत, आयु 38 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. पप्पु पिता मथरा कुमावत, आयु 34 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. वरदीचन्द पिता मथरा कुमावत, आयु 32 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. फतेहलाल पिता मथरा कुमावत, आयु 30 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. धापु बाई पत्नी मथरा कुमावत, आयु 70 साल, निवासी मोड जी मिन्नाणा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.11.17 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 भू. रा. का.अधि.

श्री हस्तीमल सेठीया, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 22.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थीगण के दादा मांगु के दो पुत्र दोला एवं मथरा जी थे तथा दोला जी के वारिसान प्रार्थीगण है तथा मथरा के वारिसान विपक्षीगण हैं। मांगु जी के जमाने से आराजीयात वाके मौजा मोड जी का मिन्नाणा की आराजी नं. 395, 703, 795, 857, 858 कुल किता 5 कुल रकबा 3.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 तथा विपक्षीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा निहित है जिसका दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। बंटवारे में आराजी नं. 593, 675 व 676 प्रतिवादीगण के हक हिस्से में रही और बकाया आराजीयात 314, 741 व 742 वादीगण के हक हिस्से में रही परन्तु शामलाती खाता चला आ रहा है। विपक्षीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से आराजी नं. 593, 675 व 676 का सम्पूर्ण रकबा अन्य व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। इस प्रकार विवादित आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीगण ने अपने 1/2 हिस्से में से आराजी नं. 314, 741 व 742 का आधा हिस्सा चम्पालाल पिता कुका कुमावतत को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। इस प्रकार आराजी नं. 857 व 858 का शेष रकबा 0.2000 हैक्टेयर भू भाग प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की है। इस पर केवल प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। परन्तु विवादित भूमि में अभी भी विपक्षीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज होने से सरकार की ओर से प्राप्त होने वाला मुआवजा राशि प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण से कह रहे हैं कि विवादित भूमि हमारी है। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं तथा विवादित भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। चूंकि मूल वाद के निस्तारण में बहुत समय लगेगा, तब तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी और वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2049-52 ग्राम मिण्डाना की खाता संख्या 165, नामान्तरकरण संख्या 95 ग्राम मिण्डाना, नकल जमाबन्दी संवत 2069-72 ग्राम मिण्डाना की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाता संख्या 238, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मिण्डाना की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी संवत 2049-52 में प्रश्नगत आराजीयात में मथरा पिता मांगु का 1/2 तथा प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। इससे यह तो प्रकट होता है कि विवादित भूमि पुश्तैनी होकर विरासत से पक्षकारान को प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। प्रार्थीगण द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर हक हकूक का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य व गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक विवादित भूमि को संरक्षित रखना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मिण्डाना की आराजी नं. 857 व 858 का शेष रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें।

आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested